150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान – सरकार

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ.4( )पी.पी. / तक–2 / G.L. / L.C. / 2020–21 / 6332-487 दिनांक : 05.06.2020

संशोधित–आदेश

विषयः– वर्ष 2020–21 में टिड्डी नियंत्रण हेतु दिशा–निर्देश।

प्रसंग :– कृषि आयुक्तालय के समसंख्यक पत्रांक 1761–1915 दिनांक 30.04.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र द्वारा वर्ष 2020–21 में टिड्डी नियंत्रण हेतु जारी दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या 7, 8, 11 व 12 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है–

टिड्डी के संम्भावित प्रकोप वाले क्षेत्र में कृषि पर्यवेक्षक / सहायक कृषि अधिकारी नजदीकी क्रय विक्रय सहकारी समिती / ग्राम सेवा सहकारी समिती / लेम्पस से पौध संरक्षण रसायन अग्रिम रूप से प्राप्त कर अपनी भण्डार पंजीका में दर्ज कर अपने पास स्टॉक रखे। कृषि क्षेत्र में टिड्डी का प्रकोप होने पर आवश्यकतानुसार पौध संरक्षण रसायन का उपयोग करवाया जावे। कृषि क्षेत्र में पौध संरक्षण रसायन का उपयोग करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र, मय दस्तावेज (कृषक सूची, क्रय बिल, भण्डार पंजिका छाया प्रति आदि) कृषि विस्तार एवं राजस्व विभाग / पंचायत राज विभाग के कार्मिको द्वारा प्रमाणित हो, के आधार पर उप निदेशक कृषि विस्तार द्वारा सम्बन्धित क्रय–विक्रय सहकारी समिति / ग्राम सेवा सहकारी समिति / लेम्पस को ऑन–लाईन भुगतान किया जावेगा।

टिड्डी नियंत्रण हेतु उपयोग किये गये पौध संरक्षण रसायन का बिल सम्बन्धित उप / सहायक निदेशक कृषि / जिला विस्तार अधिकारी / सहायक कृषि अधिकारी / कृषि पर्यवेक्षक के नाम से जारी किया जावेगा।

5/6/20

(डॉ. ओमप्रकाश)
आयुक्त कृषि

क्रमांकः–एफ.4( )पी.पी. / तक–2 / G.L. / L.C. / 2020–21 / 6332-487 दिनांक : 05.06.2020

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय कृषि मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. समस्त जिला कलेक्टर ....।
4. अतिरिक्त निदेशक कृषि (आदान / विस्तार / अनुसंधान / उद्यान) मु. जयपुर ।
5. संयुक्त निदेशक कृषि (योजना / जउप्र / आइसोपॉम / आरकेविवाई / गु.नि.) मु. जयपुर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड ....को भेजकर अनुरोध है कि टिड्डी नियंत्रण हेतु जारी दिशा–निर्देशानुसार वांछित कार्रवाई कराना सुनिश्चित करावें।
7. परियोजना निदेशक, सी.ए.डी. कोटा।
8. समस्त उप निदेशक, कृषि (विस्तार) जि.प. / आईजीएनपी बीकानेर ....।
9. समस्त सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) / जिला विस्तार अधिकारी ....।

5.6.2020

(डॉ. सुवालाल जाट)
संयुक्त निदेशक, कृषि (पौ.सं.)

Scanned by CamScanner